प्रेस विज्ञप्ति

रेनूकूट नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या के अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.09.2019 को रात्रि करीब 10.00 बजे दो बदमाशों ने अपने कार्यालय में बैठे व जनता के व्यक्तियों से वार्ता कर रहे रेनूकूट नगर पंचायत अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू पुत्र स्व0 हनुमान सिह नि0 हनुमान कटरा मेन रोड रेनूकूट को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । जिनका इलाज के दौरान दि0 01.10.2019 को रात्रि 02.30 बजे उनकी मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना पिपरी में मु0अ0सं0 180/2019 धारा 147,148,149,302,120बी,34 भादवि पंजीकृत किया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी नियत्रंण रखते हुये जनपद पुलिस ने इस घटना में संलिप्त अपराधियों की तलाश दबिंश व सुरागरसी पतारसी की गयी तथा कुछ लोगो को पुछताछ के लिए लाया गया था। जिससे इस घटना के मुख्य अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तो को दिनांक 02.10.2019 तथा 03.10.2019 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण क्रमशः 01. अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 सत्यनारायाण 02. बृजेश सिंह पुत्र स्व0 सत्यनारायाण 3. राकेश सिंह पुत्र स्व0 सत्यनारायाण निवासीगण हिन्डाल्को पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड रेनूकूट सोनभद्र तथा जमुना सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिह नि0 खड़पाथर मुर्धवा रेनूकूट सोनभद्र गहन पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017 में रेनूकूट **नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव** के दौरान दोनो पक्षों में कड़ी प्रतिद्वदिंता थी जिसे लेकर चुनाव के दौरान कुछ विडियो भी सोशल साइटो पर वायरल किये गये थे व चुनाव के बाद इन लोगो के मध्य आपस में गम्भीर विवाद हुआ था जिसके सम्बन्ध में मुकदमे भी पंजीकृत किये गये थे। इसी चुनावी रजिंश को लेकर गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा बिहार प्रान्त से पेशेवर अपराधियों को पैसा देकर बुलाया गया और उनके द्वारा यह जघन्य अपराध कारित किया गया। अभिसूचना संकलन से यह तथ्य भी प्रमाणित है कि इस हत्या को कारित करने वाले पेशेवर अपराधियों को अभियुक्त जमुना सिह व बृजेश सिह द्वारा समस्त संसाधन व नगद रूपये 25,000/– उपलब्ध कराये गये थे जिससे यह अपराध घटित हुआ है। इस घटना में मुख्य अभियुक्त जमुना सिह व बृजेश सिंह द्वारा बिहार प्रान्त के अपराधियों को दिनांक 07.09.2019 को ही बिहार से रेनूकूट बुलाया गया, जिनके द्वारा रेनूकूट के होटल में रूक कर रेकी की गयी थी इसके उपरान्त पुनः दिनांक 29.09.2019 को रेकी कर इन गिरफ्तार अभियुक्तो की मदद से घटना को अन्जाम दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

01. अनिलसिंह पुत्र स्व0 सत्यनारायाण नि0 हिन्डाल्को पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड रेनूकूट सोनभद्र।
02. बृजेश सिंह पुत्र स्व0 सत्यनारायाण नि0 हिन्डाल्को पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड रेनूकूट सोनभद्र।
03. राकेश सिंह पुत्र स्व0 सत्यनारायाण नि0 हिन्डाल्को पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड रेनूकूट सोनभद्र।
04. जमुना सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिह नि0 खड़पाथर मुर्धवा रेनूकूट सोनभद्र।

बरामदगी का विवरणः–

01. मोबाईल फोन 02 अदद क्रमशः रेडमी व एच0टी0सी0 मोबाईल।
02. दो चार पहिया वाहन क्रमशः इनोवा व स्कोर्पियो।